न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 116/2022 बउनवानी सूरजमल गर्ग बनाम लो.सू.अधि.एवं सचिव नगर विकास न्यास स.म पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग निवासी शेरपुर खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/180

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
4.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 8.8.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. माया देवी पत्नि राजेश गोयल, गोरा देवी पत्नि हरिचरण शर्मा का कन्वर्जन का आवेदन पत्र 2. माया देवी का नक्शा 3. तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट 4. जेईएन की रिपोर्ट, 5. सरपंच की रिपोर्ट 6. तहसीलदार व पटवारी की रिपोर्ट प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक प.()नविन्या/सू.का.अ./2022/1158 दिनांक 6.10.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में न्यास के पत्रांक प.नविन्या/सभा/2022/1069 दिनांक 14.9.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.8.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 5 मे चाही गयी सूचना, के संबंध में सचिव, नगर विकास न्यास द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1069 दिनांक 14.9.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि चाही गयी सूचना द्वितीय पक्ष से संबंधित होने के कारण अधिनियम की धारा 11 के तहत संबंधित पक्ष से असहमति प्राप्त होने के कारण अपीलान्ट के सूचना नही दी गयी है। किन्तु चाही गयी सूचना कन्वर्जन पत्रावली से संबंधित है जो नगर विकास न्यास का रिकार्ड है तथा उक्त कन्वर्जन से संबंधित रिकार्ड की प्रति अपीलान्ट को दिये जाने पर किसी द्वितीय पक्ष की कोई हानि नही होती है। चूंकि चाही गयी सूचना सामान्य प्रकृति [illegible] अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना उचित समझता हूँ। अतः अपील अपीलान्ट [illegible] की जाकर लोक सूचना अधिकारी, सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को नि[illegible] किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना 7 दिवस मे नि[illegible] पत्रावली [illegible]मार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible] जावे। आदेश खु[illegible]लय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:39:10 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर